

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 02/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 04.01.2021

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित केद्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा बोर्ड द्वारा निर्गमित अधिसूचना सं. 82/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 07.06.2016, का.आ. 2019(अ) दिनांक 07.06.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.15 और 29 दोनों के स्तंभ सं.6 में मौजूद प्रविष्टियों को "आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-53/2020]

(दीपक कुमार)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई द्वारा अपर महानिदेशक, डीआरआई-अहमदाबाद को लिखे गए उनके दो पत्र फा सं S/19-Misc-04/2004MOD(X) और S/10-151/2006 Gr. VII दिनांक 12.11.2020 के संदर्भ में.
2. प्रधान अपर महानिदेशक, डीआरआई-अहमदाबाद ज़ोनल यूनिट को इस निवेदन के साथ कि वे इस अधिसूचना के निर्गमन के बारे में कारण बताओ नोटिस के नोटिसियों और को- नोटिसियों को सूचित करें